भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1153
11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- रासायनिक उर्वरक से जैविक उर्वरक की ओर बदलाव

1153. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) किसानों को रासायनिक उर्वरकों से जैविक उर्वरक के उपयोग की ओर प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) क्या सरकार जैविक कृषि पद्धतियों को उपनाने के लिए किसानों को कोई वित्तीय प्रोत्साहन या सब्सिडी प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए जैविक उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने की चुनौतियों से सरकार का किस प्रकार निपटने का विचार है;
(घ) किसानों को पारंपरिक कृषि पद्धतियों से जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने में क्या सहायता प्रदान की जा रही है; और
(ड़) ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क), (ख) और (घ): किसानों को रासायनिक उर्वरकों से जैविक उर्वरकों की ओर ले जाने के लिए सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) की स्कीमों के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों हेतु, पूर्वोत्तर क्षेत्र मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) योजना लागू की जा रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, प्रमाणीकरण और विपणन तथा फसलोपरांत प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक एंड-टू-एंड सहायता पर बल देती हैं। पीकेवीवाई के तहत, जैविक खेती को बढ़ावा देने हेत तीन साल की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से किसानों को ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से तीन साल की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसान उत्पादक संगठनों के सृजन, जैविक इनपुट आदि हेतु किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु 3 वर्षों के लिए 46,500/हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये सहित, इस योजना के तहत ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक इनपुट हेतु किसानों को 3 वर्षों के लिए 32500/हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): जैव उर्वरकों की प्रमुख चुनौतियाँ जैव उर्वरकों की व्यवहार्यता/कार्य-निष्पादन को बनाए रखना तथा इसका गुणवत्ता नियंत्रण है। किसानों के बीच रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैव उर्वरक की मांग कम है, जिसके पीछे मुख्य रूप से यह धारणा है कि रासायनिक उर्वरकों में जैव उर्वरकों की तुलना में

पोषक तत्व अधिक होते हैं जो पोषक तत्वों का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, दूसरा, जैव उर्वरक जीवित उत्पाद होने के कारण तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, जिससे इनके भंडारण और किसान के तक परिवहन में कठिनाई होती है। इसके अलावा, रासायनिक उर्वरक के उपयोग के बाद, फसल उत्पादकता पर जैव उर्वरक का सीमित प्रभाव होता है।

किसानों को जैव-उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने विभिन्न पहल की हैं जो इस प्रकार हैं:

i. एसएचसी/एसएचएम योजनाओं के तहत सरकार मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए जैव-उर्वरकों और जैविक खादों के साथ रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा दे रही है।

ii. उर्वरक मंत्रालय ने सभी उर्वरक विपणन कंपनियों को फसलों के लिए संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए "बास्केट अप्रोच" के रूप में रासायनिक उर्वरकों के साथ फ़र्मेंटिड जैविक खाद और अन्य जैविक और जैव-उर्वरकों का अनिवार्य रूप से उठान करने का निर्देश दिया है।

iii. जैव-उर्वरक, जैविक उर्वरक और जैविक खाद के एकीकृत उपयोग को आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित प्रथाओं के पैकेज का अभिन्न अंग बनाया गया है।

iv. आईसीएआर ने उच्च शेल्फ-लाइफ के साथ तरल जैव-उर्वरक प्रौद्योगिकी विकसित की है और विभिन्न फसलों और मृदा की क़िस्मों के लिए विशिष्ट जैव-उर्वरकों के इम्प्रूव्ड स्ट्रेंस को भी विकसित किया है।

v. गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, जैव-उर्वरकों को उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है और उनके गुणवत्ता मानकों को निर्दिष्ट किया गया है, जिनका निर्माताओं द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाना आवश्यक है।

(ड़): भारत सरकार गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) योजना लागू कर रही है, जिसके तहत लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक खाद (एलएफओएम)/ फर्मेंटेड ऑर्गेनिक खाद (एफओएम) का कम्प्रेस्ड बायो गैस संयंत्रों के बाय-प्रोडक्ट के रूप में उत्पादन किया जाता है। भारत सरकार एफओएम, एलओएम और फॉस्फेट युक्त ऑर्गेनिक खाद (पीआरओएम) के लिए 1500 रुपये/मीट्रिक टन (एमटी) की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) प्रदान कर रही है। यह एमडीए किसानों द्वारा जैविक खाद की खपत को बढ़ावा देता है।

****